न्यायालय– सदस्य, प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला–ग्वालियर म0प्र0
(समक्ष–साबिर अहमद खान)

Registration No. MJCMACC/322/2026
Filling No.MJCMACC /3405/2026
CNR No.MP0701-013387-2026
Filling Date-13-06-2026

केदार सिह जाटव पुत्र–धनीराम जाटव उम्र–31 वर्ष, निवासी–ग्राम बघरवारा, (हरपालपुरा) पीपलखेद, म्यापुर, शिवपुरी म.प्र. **.....आवेदक**

बनाम

1. मोनू राजपूत पुत्र–नटवर सिंह राजपूत उम्र–24 वर्ष निवासी–ग्राम कलयागपुरा पोस्ट नरसिंहगढ, जिला–दमोह म.प्र. (वाहन चालक टेंकर क्र.–एम.पी.–20 एच.बी.–5973)
2. अमनप्रीत सिंह जुनेजा पुत्र–जगजीत सिंह जुनेजा उम्र–45 वर्ष निवासी–प्रताप मार्केट, दमोह नाका, जिला–दमोह (वाहन मालिक टेंकर क्र.–एम.पी.–20 एच.बी.–5973)
3. दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मण्डल कार्यालय क्र.–2, 7 रवि नगर, खेडापति रोड, ग्वालियर म.प्र. द्वारा मण्डल प्रबंधक (बीमा कंपनी) **....अनावेदकगण**

20.07.2026 आवेदक केदार सिंह जाटव सहित श्री दिनेश सिंह तोमर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभिलेखागार से मूल अभिलेख की प्राप्ति हेतु नियत है।

अभिलेखागार से क्लेम प्रकरण क्रमांक 173/2021 उनवान केदार सिंह बनाम मोनू राजपूत आदि अवार्ड दिनांक 13.08.2024 का अभिलेख प्राप्त हुआ।

आवेदक की ओर से क्लेम प्रकरण क्रमांक 173/2021 उनवान केदार सिंह बनाम मोनू राजपूत आदि अवार्ड दिनांक 13.08.2024 के पालन में आवेदक के नाम से तैयार एफ डी आर खाता क्रमांक 667103030038731 राशि 04,37,038/–रूपये दिनांक 22.05.2025 का समयपूर्व भुगतान

किये जाने का निवेदन इस आधार पर किया गया कि आवेदक की पुत्री मुस्कान का दिनांक 23.07.2026 को आकाश पुत्र अतर सिंह निवासी ठाकुर बाबा कॉलोनी पिछोर जिला शिवपुरी के साथ होना है इसलिये आवेदक को रूपयों की आवश्यकता है। इसलिये आवेदक अतर सिंह के नाम से तैयार एफ डी आर का समयपूर्व भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदनपत्र के समर्थन में आवेदक की ओर से स्वयं के शपथपत्र एवं विवाह पत्रिका पेश की गई।

आवेदनपत्र पर आवेदक एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया, प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि क्लेम प्रकरण क्रमांक 173/2021 उनवान केदार सिंह बनाम मोनू राजपूत आदि अवार्ड दिनांक 13.08.2024 में **14,89,914/–रूपये (चौदह लाख नबासी हजार नौ सौ चौदह रूपये)** का अवार्ड पारित किया गया था। उक्त अवार्ड के पालन में आवेदक केदार सिंह जाटव को 50 प्रतिशत राशि बचत खाते के माध्यम से नकद भुगतान की गई थी एवं 25 प्रतिशत राशि तीन वर्ष एवं 25 प्रतिशत राशि पांच वर्ष की समयावधि के लिये सावधि खाते में जमा करवाई गई थी।

आवेदक की ओर से स्वयं की पुत्री के के विवाह में होने बाले खर्च के लिए राशि की आवश्यकता होना बताते हुए आवेदक के नाम से तैयार एफ डी आर खाता क्रमांक 667103030038731 राशि 04,37,038/–रूपये दिनांक 22.05.2025 का समय पूर्व भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है।

माता–पिता का दायित्व है कि वह अपने बच्चों का ववाह करें चूंकि आवेदक को स्वयं की दुर्घटना में आई चोटों के संबंध में अवार्ड राशि प्राप्त हुई है। उपरोक्त प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों को विचार में लेते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आवेदक केदार सिंह जाटव पुत्र धनीराम जाटव, आयु 31 वर्ष, निवासी ग्राम बघ ारवारा (हरपालपुरा) पीपलखेद म्यापुर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश के नाम से तैयार एफ डी आर खाता क्रमांक 667103030038731 राशि **04,37,038/–रूपये (चार लाख**

<u>सैंतीस हजार अड़तीस रूपसे)</u> दिनांक 22.05.2025 की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के समयपूर्व भुगतान किये जाने बावत शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जिला न्यायालय ग्वालियर को पत्र भेजा जावे।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अभिलेखागार वापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही / –
(साबिर अहमद खान)
सदस्य प्रथम मो0दु0दा0 अधिकरण
जिला ग्वालियर

SABIR AHMAD KHAN
Digitally signed by SABIR AHMAD KHAN
Date: 2026.07.20 17:48:53 +0530